FROM No.III

फर्द अहकाम

सहायक कलक्टर (SDO) (नियम 26)

बायतु

अज अदालत...................................... मुकाम......................................

हरचन्द राम ....बनाम.......... खेमाराम वगैरा

किस्म मुकदमा...... राजस्व आवेदन ...... नं. ......124...... सन् ......2019......

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
9/4/2019	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री ......कुम्भसिंह चौधरी...... ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा ......111, 128...... राजस्थान काश्तकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी /प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक ......13/5/2019...... को पेश हो।	
13/05/19	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगणों के नोटिस तामील शुदा प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली कीया गया। अधिनस्थ पीठासीन अधिकारी चुनाव कार्य में व्यस्त होने से मिसल इल्तवा होकर आगामी दिनांक 11/06/19 को पेश हो।	
11/06/19	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगण बावजूद तामील अनुपस्थित। अधिनस्थ पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त होने से मिसल इल्तवा होकर आगामी दिनांक 23/07/19 को पेश हो।	

Scanned by CamScanner

वाद/2019/706
प्रार्थी
हरचन्दराम पुत्र रामूराम
निवासी हेमजी का पाना,
तहसील बायतू

23/07/19 प्रार्थी वकील उपस्थित। विपक्षीगण ... तामील पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त होने से मिसल इलतवा होकर आगामी दिनांक 16/10/19 को पेश हो।

16/10/19 प्रार्थी वकील उपस्थित। विपक्षीगण बावजूद तामील अनुपस्थित। न्यायालय समय तीन बार आवाज लगाई गई, अन्तिम आवाज 5.45 pm पर लगाई गई, विपक्षीगण स्वयं या उनकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुआ लिहाजा उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रार्थी अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया कि प्रार्थी के खातेदारी खेतों के लेहा लेह विपक्षीगणों के खेत आये हुए है। प्रार्थी व विपक्षीगण के लेहो पर जो पुरानी माटे व डोले थे जो वर्तमान में आंधियो की वजह से बिखर गये है। जिसके कारण प्रार्थी व विपक्षीगणों के खेतों के लेहो का सही ज्ञान नहीं हो रहा है तथा लेहो पर किसी प्रकार की कोई पक्की पत्थरमाट या चिन्ह आदि नहीं होने से विपक्षीगण प्रार्थी के कब्जा शुदा खेत का जबरदस्ती लेहा तोड़ देते है एवं बरसात होने पर काश्त कर लेते है जिससे प्रार्थी व विपक्षीगणों के मध्य तनाजा बना रहता है इस कारण प्रार्थी को अपने खातेदारी खेतों की नेपमबन्दी करवाना आवश्यक है। इसलिए प्रार्थी का नेपमबन्दी आवेदन स्वीकार किया जाकर नेपमबन्दी आदेश किया जावे।

अतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का नेपमबंदी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बायतु को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है व आदेश दिया जाता है कि आप स्वयं या अपने अधिनस्थ किसी भी भू अभिलेख निरिक्षक से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेपमबंदी मौके पर कमिश्नर शुल्क जमा कराकर करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो। आदेश अलग से लिखा जाकर शामिल पत्रावली हो। पत्रावली अमल शुदा होकर नम्बर से कम हो दाखिल दफ्तर हो।

16.10.2019

नायब तहसीलदार
(राज. परेऊ)

Scanned by CamScanner

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु

/वाद/2019/ 706 दिनांकः– 16/10/19

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
हरचन्दराम पुत्र रामूराम जाति जाट निवासी हेमजी का पाना, अकदड़ा तहसील बायतु जिला बाडमेर		खेमाराम पुत्र पदमाराम जाति जाट वगैरा 28 निवासी हेमजी का पाना, अकदड़ा तहसील बायतु जिला बाडमेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या 124/2019

आदेश

प्रार्थी के खातेदारी खेत मौजा हेमजी का पाना पटवार हल्का अकदड़ा तहसील बायतु जिला बाड़मेर के खेत खसरा संख्या 242, 243, 244, 245, 310 रकबा क्रमश 0.05, 0.05, 0.05 39.03, 43.04 बीघा कुल रकबा 83.02 बीघा की भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें। एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है खातेदार को अधिकार है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान/ नेखबंदी करा सकता है। लियाजा प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 भू0, रा0, अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है व तहसीलदार बायतु को कमिश्नर व सम्बंधित भू अभिलेख निरीक्षक को सहायक कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है। कि कमिश्नर स्वयं या सहायक कमिश्नर से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबन्दी मौके पर निर्धारित कमिश्नर शुल्क रूपये 500/– जमा करा कर करें। एवं पालना रिर्पाट पेश करें। तथा अपेक्षित होने पर थाना प्रभारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु आपको अधिकृत किया जाता है।

आदेश बसरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु
उपखण्ड अधिकारी बायतु

क्रमांक/वाद/2019/ 707–711 दिनांकः– 16/10/19

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार बायतु
2. पटवारी अकदड़ा को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री हरचन्दराम पुत्र रामूराम
4. विप्रार्थीगण खेमाराम पुत्र पदमाराम वगैरा
5. थाना अधिकारी पुलिस थाना बायतु

सहायक कलक्टर (SDO)
उपखण्ड अधिकारी बायतु.

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2019.11.24 19:32:08 IST
Reason: SelfAttested
Location: